



## राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800022


अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद

संख्या-07 (लो0सू0अ0)/2023-24

श्रीमती रिमझिम कुमारी, पति-श्री सुनील दूबे, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, मगध क्षेत्र, गया-823001

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी-सह-कुलपति, बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक
13.01.2023	<p>श्रीमती रिमझिम कुमारी, पति-श्री सुनील दूबे, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, मगध क्षेत्र, गया-823001 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक- शुन्य इस कार्यालय में दिनांक-12.01.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या-59F 985777 दिनांक-अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत कराये।</p> <p>अपीलार्थी श्रीमती रिमझिम कुमारी ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक-22.11.2022 को सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी-सह-कुलपति, बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार को दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-महामहिम राज्यपाल के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है।</p> <p>साथ ही श्री उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक- 22.11.2022 की प्रति भी संलग्न है।</p> <p>विदित हो कि कोई भी विश्वविद्यालय एक स्वायत्त (Autonomous) संस्था है तथा यह सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को Designate किया जाता है। अतः विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल सचिवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय में।</p> <p>अपीलकर्ता श्रीमती रिमझिम कुमारी ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है, अतः इसे अस्वीकृत किया जाता है। सभी संबंधित को सूचित करें।</p> <p style="text-align: right;"> विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार</p>

